न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 03, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–995/2026

C.N.R.No.U.P.K.J.010026792026

1. प्रशान्त उर्फ प्रान्शू पुत्र राकेश चन्द्र

निवासी खॉडेदेवर थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

अपराध सं0 63/2026
धारा–85 व 80(2) बी0एन0एस0
व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना तालग्राम व जिला कन्नौज।

जमानत आदेश

12.08.2026

1. प्रार्थी/ अभियुक्त प्रशान्त उर्फ प्रान्शू की ओर से मु0अ0सं0 63/2026 धारा 85 व 80(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना तालग्राम व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जेल में निरूद्ध हैं।

2. प्रार्थी/ अभियुक्त उपरोक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं। उसने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसकी शादी मृतका वर्षा के साथ बिना किसी दहेज के की थी। शादी से पूर्व दहेज की कोई मांग तय नहीं थी और न ही शादी के बाद कभी भी उसकेे द्वारा वर्षा से किसी प्रकार के अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी थी और न कभी मारपीट कर प्रताड़ित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अतिरिक्त दहेज की मांग का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्षा के माता–पिता बहुत ही चालाक व लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन लोगों द्वारा प्रार्थी का सारा जेवरात हडप लिया है वर्षा के मांगने पर उसे नहीं दिया गया तथा अक्सर जेवरात मांगने पर वर्षा को मारते–पीटते थे। वर्षा के पिता रामप्रकाश ने अपनी एक अन्य पुत्री आरती की शादी उमाकान्त के साथ की थी उसके पति उमाकान्त का सारा जेवरात रखकर उसकी दूसरी शादी मोटी रकम लेकर दूसरी जगह मनोज पाण्डे के साथ दिनांक 08.12.2025 को कर दी थी। वर्षा ने अपने घर मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। दिनांक 01.05.2026 को वर्षा का बहनोई उमाकान्त व उमाकान्त का पिता हरीओम तिवारी अपना जेवर वापस लेने रामप्रकाश मिश्रा के घर गये हुए थे तभी उनके सामने रामप्रकाश, उर्मिला व मृतका के भाई अनमोल ने मारपीट कर एक कमरे में बंद कर दिया था और कहा था कि तेरा जेवर व रूपया नहीं देगें। तुझे जहॉ जाना हो वहॉ चली जा और नहीं तो अपने प्राण दे दो जाके तथा बाहर से कुण्डी लगा दी थी उसी दिन अपने मॉ बाप व भाई के कृत्यों से क्षुब्ध होकर वर्षा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या रात में की थी। इस सम्बन्ध में वर्षा के बहनोई उमाकान्त व उमाकान्त

के पिता हरीओम तिवारी ने अपने–अपने शपथपत्र विवेचक क्षेत्राधिकारी कन्नौज को वास्तविकता के सम्बन्ध में जरिये डाक भेजे थे। शादी के बाद मृतका अथवा उसके घर वालों ने किसी भी थाने में दहेज उत्पीडन के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की थी। उनके उपर धारा 85 व 80(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट का अपराध नहीं बनता है। मृत्यु से पूर्व वर्षा के पिता रामप्रकाश व माता उर्मिला के उकसाने पर अतिरिक्त धन उगाही हेतु वर्षा से मुकदमे करवा दिये थे जो झूठे थे। वर्षा जब विदा होकर अपने मायके दिनांक 03.01.2026 को गयी थी तब एक सुलहनामा भी तहरीर किया गया था। मृतका वर्षा को उसके माता–पिता व भाई अनमोल द्वारा प्रताडित किये जाने पर ही वर्षा ने अपने घर में आत्महत्या की है। प्रार्थी को दिनांक 02.05.2026 को उसके पिता राकेश चन्द्र को मोबाइल द्वारा वर्षा की मृत्यु की सूचना उर्मिला मृतका की मॉ द्वारा प्राप्त हुई थी जो सुबह 08:40 बजे फोन से मिली थी और उर्मिला द्वारा प्रार्थी के पिता राकेश चन्द्र से कहा गया था कि तुम्हारी बहू ने फांसी लगा ली है आप लोग पोस्टमार्टम हाउस आ जाओ। तब प्रार्थी के पिता ने थाना तालग्राम पर एक प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया था कि उसकी बहू वर्षा का जेवर हड़प करने की गरज से उसके पिता रामप्रकाश, माता उर्मिला व भाई अनमोल ने एक राय होकर उसकी हत्या कर दी है। वादी मुकदमा व वादी की पत्नी उर्मिला दोनों होमगार्ड पुलिस में नौकरी करते हैं इस कारण प्रार्थी/ अभियुक्त की रिपोर्ट थाना तालग्राम में दर्ज नहीं की गयी थी। तब उसने जरिये डाक पुलिस अधीक्षक कन्नौज को प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। वादी रामप्रकाश ने अपनी एक अन्य लडकी सोनी की शादी इन्दरगढ़ जिला कन्नौज में की थी। उस लडकी का जेवर हडपने की गरज से उसके पिता रामप्रकाश व माता उर्मिला ने सोनी को इतना प्रताड़ित किया था कि सोनी ने अपनी ससुराल में आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय भी वादी रामप्रकाश ने सोनी के ससुराल पक्ष से मोटी रकम लेकर कोई कार्यवाही नहीं की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्षा की मृत्यु के बाद तीन दिन तक वादी मुकदमा रामप्रकाश प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण से पैसे मॉगकर सौदे बाजी करता रहा। जब पैसे देने से इंकार कर दिया तब वादी ने उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत कर उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी रामप्रकाश मिश्रा ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि, उसने अपनी पुत्री वर्षा मिश्रा की शादी गुरसहायगंज कोतवाली के खांडे देवर निवासी प्रांशू दुबे पुत्र राकेश चन्द्र दुबे से की थी। उसने दहेज में मांगे गये नगदी व दहेज का सामान सहित साल लाख रूपये खर्च कर बेटी को विदा किया था, लेकिन ससुरालीजन मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। अक्सर मारपीट कर प्रताडित किया करते थे। ससुरालीजन दो माह पहले मारपीट कर घर छोड गये और उसकी पुत्री के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया जिसकी 02.05.2026 को सुनवाई थी। जिसकी वजह

से उसकी पुत्री मानसिक रूप से परेशान थी। दिनांक 01.05.2026 को दिन शुक्रवार की शाम समय करीब सात बजे वर्षा ने अपने घर के कमरे में गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी पुत्री वर्षा ने प्रांशू पति, ससुर राकेश, सास पूनम से प्रताडित होकर आत्महत्या की है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

5. वादी की तहरीर के आधार पर थाना तालग्राम जिला कन्नौज में मु0अ0सं0 63/2026 धारा 85 व 80(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0पी0एक्ट में अभियुक्तगण प्रांशू, राकेश चन्द्र व पूनम के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना समाप्त हो चुकी है।

6. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं केस डायरी तथा अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्री मृतका वर्षा को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट की एवं मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया तथा मृतका की शादी के सात वर्ष के भीतर ही उसकी दहेज मृत्यु कारित की। पत्रावली में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार मृतका की मृत्यु Asphyxia Due to antemortem hanging के कारण हुई है। मृतका वर्षा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एक मुकदमा अ0सं0 215/2025 धारा 85,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत कराया गया था, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। थाने की आख्या अनुसार भी अभियुक्त के विरूद्ध एक मुकदमा अ0सं0 215/2025 धारा 85,115(2), 352,351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत थाना गुरसहायगंज पर पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार न पाते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त प्रशान्त उर्फ प्रान्शू की ओर से मु०अ०सं० 63/2026 अंतर्गत धारा–85 व 80(2) बी0एन0एस0व धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना तालग्राम व जिला कन्नौज के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी **अपर सत्र न्यायाधीश**
कक्ष संख्या **03**
कन्नौज।